भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4672
दिनांक 20 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिए योजनाएं

4672. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु सहित देश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रमों के लिए किए गए बजट आवंटन का उक्त राज्य सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त राज्य में कुपोषण दर का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा देश में कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिए किए जा रहे ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत चल रही एक योजना है, जिसका उद्देश्य पोषण को सुदृढ़ करना और देश में कुपोषण की समस्या का समाधान करना है।

इस मिशन के तहत, आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को शामिल किया गया है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। इस मिशन के लाभार्थियों में तमिलनाडु राज्य सहित देश भर के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियां (आकांक्षी ज़िलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र

में 14-18 वर्ष तक की आयु की) शामिल है। तमिलनाडु राज्य में पोषण संकेतकों की स्थिति https://www.poshantracker.in/statistics.लिंक पर उपलब्ध है:

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत कुपोषण में कमी लाने और अच्छे स्वास्थ्य, तंदरुस्ती तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए नई कार्यनीति बनाई गई है, जिसमें सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार-प्रसार जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। यह मिशन आयुष पद्धतियों के माध्यम से मातृ पोषण, शिशु एवं बालक आहार पद्धतियों के पालन, तीव्र गंभीर कुपोषण / मध्यम गंभीर कुपोषण के उपचार, तथा तंदरुस्ती पर केंद्रित है, ताकि बच्चों में दुबलापन, बौनापन, रक्ताल्पता और कम वज़न की व्याप्तता को कम किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में दिए गए पोषण मानदंडों के अनुसार बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है। इन मानदंडों में जनवरी 2023 में संशोधन किया गया है। पुराने मानदंड ज़्यादातर कैलोरी-आधारित थे; जबकि संशोधित मानदंड, आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित हैं और पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जिनमें गुणवत्ता वाले प्रोटीन, लाभदायक वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व (कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहार फोलेट, विटामिन ए, विटामिन-बी 6 और विटामिन बी-12) का प्रावधान है। एनएफएसए के अनुसार, गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) बच्चों को अतिरिक्त पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा,महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने एवं उसका उपचार करने तथा इससे जुड़ी बीमारियों और मृत्यु दर को कम करने के लिए कुपोषण के सामुदायिक प्रबंधन हेतु संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है। इस समुदाय-आधारित दृष्टिकोण में, समुदाय के भीतर गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित बच्चों की समय पर पहचान और स्क्रीनिंग करना शामिल है। जिन बच्चों में कोई चिकित्सीय जटिलताएँ नहीं होतीं, उनका प्रबंधन घर पर ही पौष्टिक, स्थानीय भोजन और सहायक चिकित्सीय देखरेख के माध्यम से किया जाता है। इस प्रोटोकॉल में 6 महीने से 6 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों के लिए 'भुखमरी परीक्षण' और स्क्रीनिंग प्रक्रिया शामिल है, जो गंभीर तीव्र कुपोषण या गंभीर रूप से अल्प वज़न के हैं। स्क्रीनिंग के बाद, ऐसे बच्चों को आगे की देखरेख के लिए 'पोषण पुनर्वास केंद्रों' या अस्पतालों में भेजा जाता है।

आहार में विविधता और पौष्टिक स्थानीय उत्पाद के सेवन को बढ़ावा देने के लिए,आंगनवाड़ी केंद्रों में 'पोषण वाटिकाएँ' तैयार की गई हैं। पोषण वाटिकाएँ साल भर विभिन्न प्रकार के फल, मेवे, जड़ी-बूटियाँ, औषधीय पौधे और सब्जियाँ उपलब्ध कराकर, आहार में विविधता की उस महत्वपूर्ण कमी को पूरा करने में मदद करती हैं।

इस मिशन के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों में से एक है सामुदायिक जुटाव और जागरूकता का प्रचार करना, जिसका उद्देश्य लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं पर शिक्षित करना है, क्योंकि पोषण की अच्छी आदत को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर एवं मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह तथा पोषण पखवाड़ा के दौरान जन आंदोलन के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण क्रियाकलाप कर रहे हैं और उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में कार्य किया है तथा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने अपेक्षित हैं। वर्ष 2018 से फरवरी 2026 तक कुल 9.8 करोड़ सीबीई आयोजित किए गए हैं। वर्ष 2018 से अब तक 15 जन आंदोलनों के माध्यम से 150 करोड़ से अधिक जन आंदोलन गतिविधियां संचालित की गई हैं।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के लिए किए गए बजट आवंटन का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	**राज्य और संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी की गई निधि (2022-23)**	**जारी की गई निधि (2023-24)**	**जारी की गई निधि (2024-25)**	**जारी की गई निधि (2025-26) 17.03.2026 तक**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.85	12.15	9.63	8.10
2	आंध्र प्रदेश	827.79	705.68	645.73	522.97
3	अरुणाचल प्रदेश	137.78	162.06	102.61	109.67
4	असम	1651.63	2233.31	2482.34	1025.07
5	बिहार	1740.09	1859.29	2262.92	878.72
6	चंडीगढ़	33.10	19.79	14.56	9.87
7	छत्तीसगढ़	668.96	579.46	733.30	392.39
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5.80	11.97	9.13	144.61
9	दिल्ली	182.77	161.81	160.41	5.92
10	गोवा	14.71	13.95	13.44	12.62
11	गुजरात	912.64	1126.80	601.32	337.53
12	हरियाणा	195.25	225.78	232.69	43.38
13	हिमाचल प्रदेश	270.24	301.09	313.07	257.02
14	जम्मू एवं कश्मीर	479.01	530.88	662.79	282.87
15	झारखंड	430.91	664.30	496.95	386.01
16	कर्नाटक	765.87	912.96	886.85	620.40
17	केरल	444.98	306.64	435.74	176.06
18	लद्दाख	18.79	19.62	18.89	16.41
19	लक्षद्वीप	0.44	2.88	1.35	0.82
20	मध्य प्रदेश	1011.57	1123.11	1144.54	791.73
21	महाराष्ट्र	1646.17	1699.52	1368.84	1060.79
22	मणिपुर	135.95	201.28	342.87	133.15

23	मेघालय	192.39	269.69	137.93	81.40
24	मिजोरम	42.81	100.27	55.29	47.93
25	नागालैंड	199.30	262.91	147.01	88.88
26	ओडिशा	923.92	968.80	948.16	789.82
27	पुदुच्चेरी	0.12	4.48	3.68	3.90
28	पंजाब	75.31	307.87	265.48	133.15
29	राजस्थान	974.02	1091.96	741.85	722.33
30	सिक्किम	20.33	33.49	18.07	9.00
31	तमिलनाडु	766.81	880.79	638.47	508.87
32	तेलंगाना	550.69	507.87	430.76	117.70
33	त्रिपुरा	150.52	244.22	153.41	133.75
34	उत्तर प्रदेश	2721.87	2668.69	2694.62	1944.79
35	उत्तराखंड	425.84	288.24	216.33	223.30
36	पश्चिम बंगाल	1227.59	1237.56	1513.80	1029.28
